

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर।

माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त मजिस्ट्रेट, न्यायालयों में कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु पूर्व में पारित आदेश दिनांकित— 20.09.2022 एवं 21.09.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है, जो निम्नवत हैः—

- 01:-** थाना कोतवाली से सम्बंधित पुलिस चालानी, अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एकट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डिं)कोर्ट सं0-5 के न्यायालय से वापस लेकर अपर सिविल जज (सी0डिं)प्रथम/ए0सी0जे0एम0 के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।
- 02:-** थाना तिवारीपुर से सम्बंधित पुलिस चालानी, अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एकट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डिं)कोर्ट सं0-8 के न्यायालय से वापस लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।
- 03:-** थाना झगड़ा से सम्बंधित पुलिस चालानी, अन्तर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0, 155(2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एकट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डिं)कोर्ट सं0-10 के न्यायालय से वापस लेकर ए0सी0जे0एम0, प्रथम के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।
- 04:-** थाना हरपुर बुदहट से सम्बंधित पुलिस चालानी, अन्तर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0, 155(2)दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एकट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डिं)कोर्ट सं0 02 के न्यायालय से वापस लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।
- 05:-** थाना गगहा से सम्बंधित पुलिस चालानी, अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एकट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डिं)कोर्ट सं0-7 के न्यायालय से वापस लेकर अपर सिविल जज (जू0डिं) कोर्ट सं0-4 के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।
- 06:-** थाना गीड़ा से सम्बंधित पुलिस चालानी, अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0, 155 (2) दं0प्र0सं0 (समस्त पुराने व नये) एवं परिवाद/एन0आई0एकट से सम्बंधित पत्रावलियों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज (जू0डिं)कोर्ट सं0-9 के न्यायालय से वापस लेकर अपर सिविल जज (जू0डिं)कोर्ट सं0-5 के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

(5) ✓

07:- थाना गोरखनाथ से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद/घरेलू हिंसा, अन्तर्गत धारा 156 (3)दंप्र०सं०, 155 (2) दंप्र०सं० (समस्त पुराने व नये) की पत्रांवलियों को विधिनुसार निर्स्तारण किये जाने हेतु अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०-४ के न्यायालय से वापस लेकर अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०-७ के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तथा नया दाखिल एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी प्रदत्त किया जाता है।

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में कार्यरत पीठासीन अधिकारीगण के न्यायालय में लम्बित पत्रावलियों का थानेवार अद्यतन विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	न्यायालय	थाना
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	थाना कैण्ट एवं रामगढ़ताल का पुलिस चालानी वाद आई०टी०एक्ट, साइबर सेल एवं ह्यूमन ट्रैकिंग इसके अतिरिक्त राजपत्रिन अधिकारी से सम्बंधित परिवाद तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मामले अन्तर्गत धारा 156(3) दंप्र०सं०, बनअधित का परिवाद, कीटनाशी अधि०, फैक्ट्री अधि०, श्रम विभाग अधि०, खान एवं खनिज अधि०, आवाकारी अधि०, टी०एस०आई० चालानी/आरएटी०ओ० चालानी, पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट, पासपोर्ट अधि० एवं कैण्ट का आर्से एक्ट
02	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम	चौरीचौरा, खोरावार एवं झगड़ों का पुलिस चालानी वाद/परिवाद थाना चौरीचौरा का एन०आई०एक्ट व घरेलू हिंसा। इसके अतिरिक्त वाट माप अधि०, खाद्यान्प्रसंश्लेषण अधि०, सी०वी०सी०आई०डी से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद, फारेस्ट एक्ट का पु० चालानी/परिवाद
03	अपर सिविल जज (सी०डि०) प्रथम /ए०सी०ज०एम०	थाना कोतवाली से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद मय एन०आई०एक्ट।
04	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय	गुलरिहा, शाहपुर एवं तिवारीपुर का पुलिस चालानी/परिवाद मय एन०आई०एक्ट तथा रामगढ़ताल का परिवाद
05	अपर सिविल जज (सी०डि०) द्वितीय /ए०सी०ज०एम०	पीपीगंज एवं चिलुवाताल की पुलिस चालानी/परिवाद मय एन०आई०एक्ट तथा थाना कैण्ट का परिवाद
06	सिविल जज (सी०डि०) एफ०टी०सी० /ए०सी०ज०एम०	सहजनवाँ एवं राजधाट से सम्बंधित पुलिस चालानी वाद/परिवाद व थाना राजधाट से सम्बंधित एन०आई०एक्ट व पूर्व में लम्बित पत्रावलियों
07	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम	पिपराईच एवं हरपुर बुदहट से सम्बंधित पुलिस चालानी वाद/परिवाद मय एन०आई०एक्ट।
08	न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय	गोला एवं सिकरीगंज से सम्बंधित पुलिस चालानी वाद/परिवाद कैण्ट का आर्से एक्ट
09	न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय	कैमियरगंज एवं खजनी सम्बंधित पुलिस चालानी वाद/परिवाद
10	सिविल जज (जू०डि०) (Crime against women)	महिला थाना एवं बड़हलांगंज का पुलिस चालानी/परिवाद। थाना: महिला थाना, गीड़ा, रामगढ़ताल, कोतवाली, खोरावार, चिलुवाताल एवं पीपीगंज का घरेलू हिंसा से सम्बंधित पत्रावलियों
11	अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०४	थाना गगहा से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद एवं घरेलू हिंसा से सम्बंधित पत्रावलियों।
12	अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०५	थाना गीड़ा से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद से सम्बंधित पत्रावलियों
13	अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०६	थाना बेलीपार से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद/एन०आई०एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों
14	अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०७	थाना गोरखनाथ से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद/एन०आई०एक्ट से सम्बंधित पत्रावलियों
15	ए०सी०ज०एम० बांसगांव	थाना उरुवा बाजार, बांसगांव एवं बेलधाट से सम्बंधित पुलिस चालानी/परिवाद/घरेलू हिंसा से सम्बंधित पत्रावलियों।
16	ग्राम न्यायालय गोला	थाना गोला से सम्बंधित समनीय प्रकृति के वाद
17	ग्राम न्यायालय कैमियरगंज	थाना कैमियरगंज से सम्बंधित समनीय प्रकृति के वाद
18	ग्राम न्यायालय चौरीचौरा	थाना चौरीचौरा से सम्बंधित समनीय प्रकृति के वाद

57

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी एकशन प्लान 2022-2023 में चिह्नित पत्रावलियों जिस न्यायालय में लंबित है, उसी न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जायेगी, जिसका थाने के स्थानान्तरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सम्बंधित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावलियों का स्थानान्तरण भौतिक रूप से व सी0आई0एस0 पर भी करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश अनुमोदनोपरान्त तत्काल प्रभावी से प्रभावी होगा।

सभी सम्बंधित सूचित हो।

दिनांक—17.10.2022

17.10.22
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गोरखपुर।

अनुमोदित
जनपद न्यायाधीश,
गोरखपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

- 1—माननीय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
- 2—श्रीमान् प्रभारी अधिकारी नजारत गोरखपुर।
- 3—नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, गोरखपुर।
- 4—सम्बंधित न्यायालय गोरखपुर।
- 5—जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 6—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
- 7—संयुक्त निदेशक अभियोजन गोरखपुर।